डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 259-ब] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 नवम्बर 2001—अग्रहायण 2, शक 1923

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2001

क्रमांक एफ. ए 3/7/2001/एक/1.—राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मंत्री (यात्रा तथा दैनिक भत्ता) नियम, 1972 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

नियम 10 (1) के उप-नियम (एक) (दो) एवं (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम (चार) स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

(चार) यदि किसी मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री/संसदीय सचिव को विमान द्वारा गंतव्य स्थान तक शासकीय हवाई यात्रा करना आवश्यक हो तो, वह हवाई टिकट की अनुमानित राशि की सीमा के अध्यधीन अथवा राशि रुपये 20,000/- जो भी कम हो यात्रा अग्रिम के रूप में कोषालय से आहरित करने का हकदार होगा. अग्रिम की प्रतिपूर्ति यात्रा देयक के माध्यम से होगी तथा अग्रिम शेष रहने पर पुनः अग्रिम आहरण करने की पात्रता नहीं होगी.

2. यह संशोधन उक्त नियमों के प्रवृत्त होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्र, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2001

क्रमांक एफ. ए 3/7/2001/एक/1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मंत्री (यात्रा तथा दैनिक भत्ता) नियम, 1972 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्र, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 23rd November 2001

No. F.A. 3/7/2001/I/1.—The State Government hereby amends the Chhattisgarh Mantri (Travelling and Daily Allowances) Rules, 1972 namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

After Clause (iii) of Sub-Rule (1) of Rule 10, the following (Clause IV) shall be inserted namely :—

(iv) If any Minister/Minister of State/Deputy Minister/Parliament Secretary is required to travel to a destination on a Government assignment, such a Minister may, subject to the maximum limit of Rs. 20,000, draw the amount required for the air fare as advance. The advance should be recouped and adjusted through the concerning T.A. bill, further, during the pendency of one advance, no further advance shall be drawn.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
INDIRA MISRA, Principal Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.